

1015/17 H

10

फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर, वमुकाम- भीनमाल

वादी/प्रार्थी-

वनाम

प्रतिवादी/अप्रार्थी-

हेमराज पुत्र मालचन्दजी
फैजाबादी (जैन) ली. भीनमाल

कमलेश पुत्र हीराचन्द
जन्मिष्टता प्रमाणपत्र नि.
भीनमाल पत्र (6)
नंबर- 32/2015

किस्म मुकदमा - राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुई
14/7/15	<p>वादी की ओर से वकील श्री <u>सुबोधित राव</u> द्वारा <u>वाकत</u> <u>श्रीवती देवी</u> विरुद्ध <u>एवं अर्थात् निवेदन</u> प्रतिवादी/अप्रार्थी पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी/अप्रार्थी जरिए <u>रुपय</u> तलब होकर मिशाल आयंदा तारीख <u>28/7/2015</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>सहायक कलेक्टर</u> <u>भीनमाल</u></p>	<p>समाप्त करी क्रमांक 80 14/7/15</p>
28/7/15	<p>वादी का अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी नं 1 व 3 के लिये कडम तामील प्राप्त हुई। प्रतिवादी नं 2 का कडम तामील कडम तामील प्राप्त की हुवा है। नं 4 के तहमील डारु उप। प्रतिवादी नं 5 व 6 के कांड उपस्थित सभी का रिट फाइल बागौडा विरामत है। फिल इनके सिमक तारीख 24/8/15 को पेश हो।</p>	

31/7/18 वकुलाश्रम करीब उघास्वित।
 आज अन्त एक (0) में व्यस्त रहते हैं
 अबलोकन नहीं हो सका मिसल वाले
 आदेश 31.7.2018 को पेश हो। ४५

31-7-18 वकुलाश्रम करीब हाजिर।
 प्रकरण का अबलोकन किया गया।
 मामले में प्राथमिक आशिक रूप से
 स्वीकार किया जाकर बिल्ट निर्वय
 प्रश्न से लिखा गया जो इनामिल
 मिसल किया जाकर निर्णय खुले
 न्यायालय सुनाया गया। मिसल
 केवल शुमार होकर नम्बर से कम हो
 एव मूल वाद के सलन हो। ४५